श्री जय राम ठाकुर
मानननीय मुख्यमंत्री,हिमाचल प्रदेश

श्री राम लाल मारकंडा
कृषि मंत्री, हिमाचल प्रदेश

कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाऐं तथा सहायता कार्यक्रम वर्ष 2018–2019

कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश,
शिमला–5

वर्तमान भूमि का वर्गीकरण

क.स.	वर्गीकरण	क्षेत्र हैक्टेयर मे
1.	कुल भौगोलिक क्षेत्र	
क	व्यवसायिक सर्वेक्षण द्वारा	55,67,300
ख	ग्राम सर्वेक्षण द्वारा	45,75,566
2.	वन	11,26,124
3.	बंजर एंव कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि	7,77,484
4.	गैर कृषि कार्यों के लिए आरक्षित भूमि	3,49,804
5.	स्थायी चरागाह एंव अन्य चरागाह भूमि	15,10,434
6.	विविध कृषि वन फसलों के तहत भूमि	63,670
7.	कृषि वाली बंजर भूमि	1,21,667
8.	अन्य परती भूमि	22,265
9.	वर्तमान परती भूमि	54,154
10.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	5,49,964
11.	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	3,81,898
12.	कुल बोया गया क्षेत्र	9,31,862
13.	फसल सघनता	169%
14.	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	1,12,749

भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतों की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार (हैक्टेयर)
1.0 से कम	सीमान्त	6.70 (69.78:)	2.73 (28.63:)	0.41
1.0–2.0	लघु	1.75 (18.17:)	2.44 (25.55:)	1.39
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.85 (8.84:)	2.31 (24.14:)	2.72
4.0–10.0	मध्यम	0.28 (2.87:)	1.57 (16.39:)	5.61
10.0 व अधिक	बड़े	0.03 (0.34:)	0.51 (5.29:)	17.00
	जोड़	**9.61**	**9.55**	1.00

स्रोत– अर्थ एंव सांख्यिकी विभाग, हि.प्र. (वर्ष 2011–2012)

राज्य प्रायोजित योजनाएँ :–

{1} मृदा परीक्षण :–

1. कृषि विभाग द्वारा सभी किसानों के लिए निःशुल्क मिट्टी परीक्षण सुविधा व मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण।
2. किसानों के लिए 9 मोबाइल, 11 अचल व 47 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुविधा।

{2} मुख्यमंत्री किसान एंव खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना :–

दावेदारों को इस योजना के तहत निम्न सहायता दी जायेगीः

1. मृत्यु पर डेढ़ लाख रूपये ।
2. स्थाई रूप से रीढ़ की हड्डी के टूटने पर 50,000 रूपये।
3. दोनों बाजू/दोनों टांगें, एक बाजू/एक टांग के पूर्ण रूप से कटने पर 40,000 रूपये ।
4. एक बाजू/एक टांग या चार उंगलियां कटने पर 30,000 रूपये ।
5. एक से तीन उंगली के पूर्ण रूप से कट जाने पर 20,000 रूपये ।
6. आंशिक रूप से उंगली/अंगूठा कटने पर 10,000 रूपये ।

{3} सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजना :

1. योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत किसान के लिए 80 प्रतिशत की सहायता, जो कि इस प्रकार से है :

क्रमांक	सूक्ष्म सिंचाई पद्धति	लेटरल अंतर	क्षेत्र की सीमा (हैक्टेयर)	अधिकतम सहायता (रुपये)
1.	ड्रिप सिंचाई पद्धति	1.20 x 0.40मीटर	0.80 से 1.00 हैक्टेयर	15,990 से 1,45,880
		0.80 x 0.40 मीटर	0.80 से 1.00 हैक्टेयर	21,256 से 1,93,608
		0.60 x 0.40 मीटर	0.80 से 1.00 हैक्टेयर	25,304 से 2,42,480
2.	सूक्ष्म स्प्रिकलर पद्धति		0.80 से 1.00 हैक्टेयर	15,360 से 85,600
3.	मिनी स्प्रिकलर पद्धति		0.16 से 1.00 हैक्टेयर	29,360 से 1,12,400
4.	पोर्टेबल स्प्रिकलर पद्धति		0.16 से 0.50 हैक्टेयर	17,488 से 30,776
5.	अर्द्ध स्थाई स्प्रिकलर पद्धति		0.40 से 4.00 हैक्टेयर	40,800 से 1,28,640
6.	लार्ज वाल्यूम स्प्रिकलर पद्धति		0.40 से 4.00 हैक्टेयर	37,200 से 2,29,840

2. उथले कुऐं व उथले बोरवैल के निर्माण पर 50 प्रतिशत सहायता । उथला कुआँ कम से कम 8 मीटर गहरा एंव कम से कम व्यास 2.45 मीटर, अधिकतम सहायता 70,000 रुपये। उथले बोरवैल कम से कम 35 मीटर गहरे तथा कम से कम व्यास 100 मि.मी., अधिकतम सहायता 1.10 लाख रुपये।
3. जल उठाने के लिए लघु व मध्यम लिफ्ट पर 50 प्रतिशत सहायता । लघु लिफ्ट 3 एच. पी. बिजली मोटर के साथ, अधिकतम सहायता 70,000 रुपये। मध्यम लिफ्ट 7.5 एच. पी. बिजली मोटर के साथ, अधिकतम सहायता 2,00,000 रुपये।
4. पम्पिंग मशीनरी पर 50 प्रतिशत सहायता, जो कि इस प्रकार से है :

1. सिंचाई जल को उठाने हेतु सिंगल फेज मोनो ब्लाक पंप सेट पर सहायता			**2. टैंक हेतु थ्री फेज मोनो ब्लॉक पंप सेट सैंट्रीफ्यूजल पर सहायता**		
माडॅल– /	रेटिंग एच. पी.	सहायता राशि (रूपये)	माडॅल– ठ	रेटिंग एच. पी.	सहायता राशि (रूपये)
	1	3310		3	7055
	1.5	4520		5	8870
	2	5060		7.5	10615
	3	7650		10	13365
	5	9255		15	16905
3. उथले कुऐं हेतु सिंगल फेज ओपन वेल सबमर्सिबल पंप सेट पर सहायता			**4. उथले कुऐं हेतु थ्री फेज ओपन वेल पंप सेट पर सहायता**		
माडॅल– ट	रेटिंग एच. पी.	सहायता राशि (रूपये)	माडॅल– व	रेटिंग एच. पी.	सहायता राशि (रूपये)
	1	5455		2	7235
	1.5	6925		3	9090
	2	7395		5	12080
				7.5	13465
				10	16520
5. नलकूप हेतु 100 मि.मी व्यास के बोर साईज का पंप सेट			**6. नलकूप हेतु 150 मि.मी व्यास के बोर साईज का पंप सेट**		
माडॅल– ғ1	रेटिंग एच. पी.	सहायता राशि (रूपये)	माडॅल– ғ2	रेटिंग एच. पी.	सहायता राशि (रूपये)
	1	9875			
	1.5	12375		7.5	19200
	2	11575			
	3	14275			

5. पानी की पाईप पर 50 प्रतिशत उपदान, सहायता राशि एच. डी. पी. ई. पाईप पर 50 रूपये प्रति मीटर, पी. वी. सी. पाईप पर 35 रूपये प्रति मीटर व एच. डी. पी. ई. वोवन लेमीनेटिड पाईप पर 20 रूपये प्रति मीटर। अधिकतम सहायता 20000 रूपये प्रति किसान न्यूनतम 0.08 हैक्टेयर जोत के लिए ।
6. सिंचाई के लिए टैंकों का निर्माण :–

पोलीलाईन तालाब, पोली व ईंट निर्मित तालाब और जल भंडारण टैंक पर 50 प्रतिशत सहायता, जो कि इस प्रकार से है:–

क्रंमाक संख्या	घटक	अधिकतम सहायता राशि (रूपये)
1	50 क्युबिक मीटर पोलीलाईन निर्मित तालाब	13000
2	150 क्युबिक मीटर पोलीलाईन निर्मित तालाब	27000
3	300 क्युबिक मीटर पोलीलाईन निर्मित तालाब	45000
4	50 क्युबिक मीटर पोली व ईट निर्मित तालाब	22000
5	150 क्युबिक मीटर पोली व ईट निर्मित तालाब	46000
6	300 क्युबिक मीटर पोली व ईट निर्मित तालाब	77000
7	9 क्युबिक मीटर जल भंडारण टैंक	21000
8	20 क्युबिक मीटर जल भंडारण टैंक	36000
9	50 क्युबिक मीटर जल भंडारण टैंक	70000
10	75 क्युबिक मीटर जल भंडारण टैंक	101000
11	125 क्युबिक मीटर जल भंडारण टैंक	148000
12	200 क्युबिक मीटर जल भंडारण टैंक	218000
13	250 क्युबिक मीटर जल भंडारण टैंक	245000

{4} डा. वाई. एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना (पॉलीहाऊस परियोजना):

1. 6 वर्ग मीटर से लेकर 1008 वर्ग मीटर के विभिन्न मॉडलों के पॉलीहाऊस निर्माण पर 85 प्रतिशत प्रति यूनिट की सहायता।
2. 6 वर्ग मीटर से लेकर 1008 वर्ग मीटर के विभिन्न मॉडलों के पॉलीहाऊस के अन्दर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप व फव्वारा सिस्टम) की स्थापना पर 85 प्रतिशत प्रति यूनिट की सहायता ।
3. किसानों के द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर जल स्रोतों (लघु/मध्यम लिफ्ट, पम्पिंग मशीनरी) के निर्माण पर 50 प्रतिशत प्रति यूनिट की सहायता। जल उठाने के लिए लघु व मध्यम लिफ्ट पर 50 प्रतिशत सहायता। 3 एच.पी. पर अधिकतम 71,000 रुपये की व 7.5 एच.पी. पर अधिकतम 2,08,500 रुपये की सहायता।
4. उपदान के अंतर्गत आने वाला अधिकतम क्षेत्र 4000 वर्ग मीटर।

{5} मुख्यमंत्री ग्रीन हाऊस नवीकरण योजना :

निर्माण के पांच वर्ष पश्चात् या प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर पॉलीशीट को बदलने हेतु 70 प्रतिशत अनुदान।

{6} मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना :

1. योजना के अंतर्गत कृषकों को व्यक्तिगत स्तर पर सौर ऊर्जा से संचारित बाड़ लगाने पर 80 प्रतिशत की सहायता ।
2. तीन या इससे अधिक किसानों द्वारा सामूहिक रूप से बाड़ लगाने पर 85 प्रतिशत की सहायता ।
3. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटक दरों का अनुमोदन किया हैः–

क्र0	घटक का विवरण	इकाई	स्वीकृत दरें
1	अलार्म में निर्मित 1 एनर्जीजरः इनपुट वोल्टेजः 12 वी डीसी, इनपुट वर्तमानः 500 एमए, आउटपुट वोल्टेजः 6.0 केवी –10.0 केवी, पल्स अंतरालः 1.20 सेकंड, पल्स अवधिः 0.3 मिली सेकेंड, आउटपुट ऊर्जा : 2.50 जौल्स	प्रति	10400.00
2	सौर पीवी मॉडयूल –72 (अलग दर उद्धृत की जा सकती है)	प्रति	4500.00
	सौर पीवी मॉडयूल – 100 डब्ल्यूपी (अलग दर उद्धृत की जा सकती है)	प्रति	5300.00
3	लाइटनिंग डाइवरटर–कॉपर	प्रति	885.00
4	हाऊसिंग बॉक्स पोस्ट के साथ	प्रति	5500.00
5	मॉड्यूल स्टैंड	प्रति	850.00
6	बैटरी 80 ए.एच. – 12 वोल्ट	प्रति	11500.00
	बैटरी 100 ए.एच. – 12 वोल्ट		14000.00
	बैटरी 120 ए.एच. – 12 वोल्ट		16900.00
7	अर्थिंग प्रणाली	प्रति	450.00
8	स्ट्रेन इन्सुलेटर	प्रति	14.00
9	रील इन्सुलेटर	प्रति	8.00
10	उच्च तन्यता तार– एसीएसआर कंडक्टर तार, 2.59 मिमी (12 गेज), टाटा मेक	मी0	6.25
11	वायर टाइटनर्स	प्रति	62.00
12	टैंशन स्प्रिंग्स	प्रति	147.00
13	ज्वांइटिंग क्लैंप	प्रति	8.00
14	चेतावनी संकेत बोड	प्रति	30.00
15	डबल इन्सुलेटिड लीड आउट केबल, 2.5 मिमी व्यास स्टील कोर वायर जोकि लगभग 20,000 वोल्ट लो रेजिसटैंस, लगभग 0.035 ओ.एच.एम/एम	मी0	25.00
16	टूल किट	प्रति	800.00
17	बाढ़ गेट नियंत्रक ड्रॉप चेन सहित	प्रति	200.00
18	कट आउट स्विच	प्रति	1500.00

19	सैक्शन/ कॉर्नर पोस्ट – जस्ती, 40 मिमी डाया पाइप के साथ एमएस, पीपी इन्सुलेटर रिवेटिंग के साथ 2.74 मीटर	प्रति	1130.00
20	सपोर्ट पोस्ट– जस्ती, 25 मिमी डाया पाइप के साथ एमएस, पीपी इन्सुलेटर रिवेटिंग के साथ 2.60 मीटर	प्रति	790.00
21	इंटरमीडिएट पोस्ट – एमएस जस्ती, 25 मिमी डाया पाइप, 2.60 मीटर पीपी इन्सुलेटर रिवेटिंग के साथ एनओएस	प्रति	790.00
22	डिजिटल वोल्ट मीटर	प्रति	4720.00
23	एक्सनोन फ्लैश ट्यूब	प्रति	700.00
24	नियॉन परीक्षक	प्रति	525.00
25	खम्बों की नीव का खुदाई कार्य एवं पीसीसी 1:3:6 की ग्राऊटिंग का कार्य	घन मी0	4700.00
26	हार्न	प्रति	220.00
27	स्थापना शुल्क	प्रतिमी0	75.00
28	सिस्टम परीक्षण और कमीशनिंग	प्रति	2360.00

{7} उत्तम चारा उत्पादन योजनाः

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल किसानों के लिए चारा काटने की मशीन पर 50 प्रतिशत का अनुदान।
2. चरी, बाजरा, जई, बरसीम व चारा मक्की के बीज पर सभी किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान।
3. अजोला घास की खेती के अंतर्गत किसानों को पिट बनाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान ।

{8} शून्य लागत प्राकृतिक खेती के अंतर्गत प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना

1. प्राकृतिक खेती के प्रचार व प्रसार के लिए प्रशिक्षण शिविर एंव कार्यशालाओं का आयोजन ।
2. गौशालाओं को पक्का करने व गोमूत्र और गोबर इकट्ठा करने के लिए गौशाला में जरूरी प्रावधान/व्यवस्था करने हेतु 80 प्रतिशत उपदान ।
3. प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले आदान (Input) बनाने के लिए किसानों को ड्रमों पर 75 प्रतिशत उपदान ।
4. प्राकृतिक खेती में काम आने वाले आदानों की आपूर्ति हेतु प्रत्येक गाँव में प्राकृतिक खेती संसाधन भण्डार खोलने के लिये 50,000 रूपये तक की सहायता।

{9} जल से कृषि को बल योजना

1. योजना के अन्तर्गत किसानों को सिंचाई जल उपलब्ध करवाने हेतु चैक डैम एंव तालाबों का निर्माण।
2. योजना के अन्तर्गत सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत प्रतिशत व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन ।

{10} प्रवाह सिंचाई योजना

1. योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कूहलों के स्रोतों का नवीनीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कूहलों का सुदृढ़ीकरण ।
2. योजना के अन्तर्गत सभी सामुदायिक कार्यों के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन।
3. योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवैल और उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत की सहायता।

{11} सौर सिंचाई योजना

1. योजना के अन्तर्गत सौर पम्पों से सिंचाई हेतु लघु एंव सीमांत वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत रूप से पंपिंग मशीनरी लगाने हेतु 90 प्रतिशत की सहायता।
2. मध्यम/बड़े वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर पंपिंग मशीनरी लगाने हेतु 80 प्रतिशत की सहायता।
3. सामुदायिक स्तर पर (कम से कम 5 किसानों के समूह) पंपिंग मशीनरी लगाने हेतु सभी वर्ग के किसानों के लिए शत प्रतिशत सहायता।
4. योजना के अंतर्गत 1–10 हार्स पावर तक के सौर पम्प उपलब्ध करवाए जाएंगे।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ:–

{1}फसल बीमा योजना :–

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

1. खरीफ 2018 मौसम में किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत।
2. मक्की और धान के लिए बीमा राशि 30,000 रूपये प्रति हैक्टेयर।
3. रबी 2018–19 मौसम में किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत ।

4. गेहूँ के लिए बीमा राशि रूपये 30,000 और जौ के लिए बीमा राशि रूपये 25,000 प्रति हैक्टेयर।

(ख) मौसम आधारित फसल बीमा योजना :

1. खरीफ व रबी मौसम में किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि पर अधिकतम 5 प्रतिशत । किसानों द्वारा देय वास्तविक प्रीमियम तथा बीमा की दर के बीच अंतर को केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जायेगा ।
2. खरीफ 2018 मौसम में टमाटर के लिए बीमा राशि 1.0 लाख रूपये, आलू के लिए 75,000 रूपये, अदरक के लिए 1.5 लाख रूपये, फूल गोभी तथा बन्द गोभी के लिए 75,000 रूपये और मटर के लिए 1.0 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर । मटर की फसल पर ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान हेतु अतिरिक्त स्वैच्छिक बीमा आवरण 15,000 रूपये प्रति हैक्टेयर ।
3. रबी मौसम में टमाटर,आलू ,लहसुन व शिमला मिर्च मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल ।

{2}राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

(क) फसल विविधिकरण के माध्यम से सब्जी उत्पादनः

1. खुली परागित किस्मों पर 50 प्रतिशत की सहायता, अधिकतम 15,000 रूपये प्रति हैक्टेयर।
2. संकर किस्मों पर 50 प्रतिशत की सहायता, अधिकतम 25,000 रूपये प्रति हैक्टेयर।

(ख) कृषि मशीनीकरण के अंतर्गत सहायताः

1. ब्रश कटर/ग्रास स्लैशर पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रूपये की सहायता।
2. बैटरी व सौर चलित स्प्रे पम्प पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 हजार रूपये की सहायता।
3. छोटे गार्डन व टूल किटों पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 1500 रूपये की सहायता।

(ग) आर.के.वी.वाई. के तहत सामुदायिक लघु सिंचाई/सिंचाई टैंक आदि के लिए :

1. वर्ष 2018–19 में, सामुदायिक लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के तहत 157.60 लाख रूपये से 150 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के अधीन लाया जायेगा ।

{3} किसान कॉल सेन्टर :–

1. प्रदेश का कोई भी किसान प्रदेश के किसी भी कोने से चंडीगढ़ स्थित किसान कॉल सेन्टर में **1800–180–1551** पर मुफ्त फोन कर सकता है।
2. किसान द्वारा **1800–180–1551** नम्बर डायल करने पर किसान कॉल सेन्टर पर एक कृषि विशेषज्ञ से बात होती है । वह विशेषज्ञ को अपनी समस्या बताता है तथा विशेषज्ञ उसे सम्बन्धित सलाह मशवरा देता है।
3. यह सेवा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध है ।

{4} कृषि विस्तार एंव तकनीकी मिशन (NMAET)

(क)राज्य प्रसार कार्यक्रमों में प्रसार सुधार हेतु समर्थन :–

1. अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्रों में पहले किए गए निवेश को संगठित करना, अनुसंधान एवं प्रसार की परियोजनाओं में अब तक रही प्रमुख विवशताओं, कमजोरियों व तकनीकी अन्तर को दूर करना तथा कार्यक्रमों को मांग के अनुसार किसान केन्द्रित करना।
2. खण्ड स्तर पर तकनीकी टीम का गठन।
3. खण्ड/जिला स्तर पर किसान परामर्श समितियों का गठन।
4. जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्ध अभिकरण { आत्मा } की स्थापना।
5. कृषि व कृषि सम्बद्ध विभाग बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय योजना में शामिल।
6. रणनीतिक अनुसंधान व प्रसार योजना के आधार पर जिला प्रसार कार्य योजना बनाना।
7. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण हेतु क्रमशः 250–400, 1,000 व 1,250 रूपये प्रति दिन की सहायता।
8. कृषि प्रदर्शन हेतु 2,000–4,000 रूपये प्रति प्रदर्शन प्रति 0.4 हैक्टेयर की सहायता।
9. कृषि पाठशाला करने के लिए 29,414 रूपये प्रति पाठशाला की सहायता।
10. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय भ्रमण हेतु क्रमशः 300, 400 व 800 रूपये प्रति दिन प्रति किसान की सहायता।
11. किसान समूहों जैसे कि किसान रुचि समूहों, महिला समूहों, किसान संगठनों आदि को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता :
    क. किसानों में क्षमता/दक्षता विकास आदि हेतु 5,000 रूपये प्रति समूह प्रति वर्ष की सहायता।
    ख. आवर्ती निधि /कोष हेतु 10,000 रूपये प्रति समूह की सहायता।
    ग. महिला खाद्य सुरक्षा समूह को आवर्ती निधि /कोष हेतु 10,000 रूपये प्रति समूह की सहायता।
12. विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम संगठित समूहों को 20,000 रूपये का प्रोत्साहन। किसानों को राज्य स्तरीय (50,000 रूपये), जिला स्तरीय (25,000 रूपये) व खंड स्तरीय (10,000 रूपये) पुरस्कार व प्रोत्साहन।
13. कृषि सूचना का प्रचार :
    क. जिला स्तरीय प्रदर्शनी, किसान मेलों, फल व सब्जी प्रदर्शनी के आयोजन हेतु 4,00,000 रूपये प्रति जिला ।
    ख. स्थानीय विज्ञापन व मुद्रित साहित्य आदि द्वारा सूचना के प्रसार हेतु प्रावधान।
    ग. सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सांझा करने के लिए इलैक्ट्रोनिक तकनीकी पैकेज के विकास हेतु 20,000 रूपये प्रति सी.डी. की सहायता।
14. कृषि तकनीक को सुधारना व अपनाना :
    क. किसानों– वैज्ञानिकों की 2 दिनों की जिला स्तरीय चर्चा के आयोजन हेतु 20,000 रूपये प्रति चर्चा ।
    ख. अनुसंधान – प्रसार – किसान कड़ी को मज़बूत करने हेतु खेत दिवस व किसान गोष्ठियों के आयोजन हेतु 15,000 रूपये प्रति कार्यक्रम का प्रावधान।

(ख) कृषि मशीनीकरण के अंतर्गत सहायताः

1. 8–20 एच पी के ट्रैक्टर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2.25 लाख रूपये की सहायता।
2. 20–40 एच पी के ट्रैक्टर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 3.00 लाख रूपये की सहायता।
3. 40–70 एच पी के ट्रैक्टर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5.00 लाख रूपये की सहायता।
4. 8 एच पी तक के पावर टिलर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 65 हजार रूपये की सहायता।
5. 8 एच पी व इससे अधिक के पावर टीलर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 85 हजार रूपये की सहायता।
6. पावर वीडर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 हजार रूपये की सहायता।
7. ऊर्जा चलित उपकरणों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमातं किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत की सहायता ।
8. कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु प्रदेश के किसानों/युवा उद्यमियों को 25 लाख रूपये तक की मशीनरी पर 40 प्रतिशत उपदान।

{5}राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–

(क) गेहूँ , धान व दालों के अंतर्गत सहायता :

क्र. सं	घटक / उप घटक	उपदान सहायता (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमान्त तथा लघु वर्ग किसान व महिलाओं के लिए)	उपदान सहायता (अन्य किसानों के लिए)
1.	समूह प्रर्दशन	9000 रू. प्रति हैक्टेयर	9000 रू. प्रति हैक्टेयर
2.	प्रमाणित बीजों के वितरण **अ). गेहूँ , धान** 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों पर धान संकर बीज **ब). दालें** 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 1,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 2,500 रुपये प्रति क्विंटल	50 प्रतिशत या अधिकतम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 1,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 2,500 रुपये प्रति क्विंटल
3.	हस्त चलित स्प्रेयर ऊर्जा चलित नैपसैक 8–12 लीटर ऊर्जा चलित नैपसैक 12–16 लीटर ऊर्जा चलित नैपसैक 16 लीटर से अधिक	50 प्रतिशत या 600 रुपय प्रति मशीन 50 प्रतिशत या 3100 रुपये प्रति मशीन 50 प्रतिशत या 3800 रुपये प्रति मशीन 50 प्रतिशत या 10000 रुपये प्रति मशीन	40 प्रतिशत या 500 रुपये प्रति मशीन 40 प्रतिशत या 2500 रुपये प्रति मशीन 40 प्रतिशत या 3000 रुपये प्रति मशीन 40 प्रतिशत या 8000 रुपये प्रति मशीन
4.	सीड ड्रिल 20 बी एच पी से कम सीड ड्रिल 20 – 35 बी एच पी सीड ड्रिल 35 बी एच पी से अधिक	50 प्रतिशत या 15000 रुपय प्रति मशीन 50 प्रतिशत या 19000 रुपये प्रति मशीन 50 प्रतिशत या 44000 रुपये प्रति मशीन	40 प्रतिशत या 12000 रुपय प्रति मशीन 40 प्रतिशत या 15000 रुपये प्रति मशीन 40 प्रतिशत या 35000 रुपये प्रति मशीन
5.	रोटावेटर 20 बी एच पी से कम रोटावेटर 20 – 35 बी एच पी रोटावेटर 35 बी एच पी से अधिक	50 प्रतिशत या 35000 रुपय प्रति मशीन 50 प्रतिशत या 44000 रुपये प्रति मशीन 50 प्रतिशत या 63000 रुपये प्रति मशीन	40 प्रतिशत या 28000 रुपय प्रति मशीन 40 प्रतिशत या 35000 रुपये प्रति मशीन 40 प्रतिशत या 50000 रुपये प्रति मशीन
6.	पंप सेट	50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 10,000 रुपये प्रति मशीन ।	50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 10,000 रुपये प्रति मशीन ।
7.	पानी के स्रोत से खेत तक पानी ले	15,000 रूपये प्रति किसान	15,000 रूपये प्रति किसान

	जाने के लिए पाइपों पर अनुदान		
8.	**गेहूँ , धान के अन्तर्गतः–** रीपर कम वाइंडर	50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 125000 रुपये प्रति मशीन ।	40 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 100000 रुपये प्रति मशीन ।
9.	मल्टी क्राप थ्रेशर 20 बीएचपी से कम मल्टी क्राप थ्रेशर 20–35 बीएचपी मल्टी क्राप थ्रेशर 35 बीएचपी से अधिक	50 प्रतिशत या 20000 रुपय प्रति मशीन 50 प्रतिशत या 25000 रुपये प्रति मशीन 50 प्रतिशत या 63000 रुपये प्रति मशीन	40 प्रतिशत या 16000 रुपय प्रति मशीन 40 प्रतिशत या 20000 रुपये प्रति मशीन 40 प्रतिशत या 50000 रुपये प्रति मशीन
10.	पौध संरक्षण रसायन	50 प्रतिशत या 500 रुपय प्रति हैक्टेयर	50 प्रतिशत या 500 रुपय प्रति हैक्टेयर
11.	खरपतवार नियंत्रण	50 प्रतिशत या 500 रुपय प्रति हैक्टेयर	50 प्रतिशत या 500 रुपय प्रति हैक्टेयर

(ख) **मक्की के अर्न्तगत** सहायता :

क्र. सं	घटक / उप घटक	उपदान सहायता (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमान्त तथा लघु वर्ग किसान व महिलाओं के लिए)	उपदान सहायता (अन्य)
1.	समूह प्रर्दशन	6000 रू. प्रति हैक्टेयर	6000 रू. प्रति हैक्टेयर
2.	प्रमाणित बीजों का वितरण 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 1500 रुपये प्रति क्विंटल	50 प्रतिशत या अधिकतम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 1500 रुपये प्रति क्विंटल
3.	संकर बीजों का वितरण	50 प्रतिशत या 10,000 रुपये प्रति क्विंटल	50 प्रतिशत या 10,000 रुपये प्रति क्विंटल

(ग) पोषक अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो मिलट, बार्नयार्ड मिलट, परोसो मिलट, फोक्सटेल मिलट, लिटल मिलट)

क्र. सं	घटक / उप घटक	उपदान सहायता (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमान्त तथा लघु वर्ग किसान व महिलाओं के लिए)	उपदान सहायता (अन्य)
1.	समूह प्रर्दशन	9,000 रू. प्रति हैक्टेयर	9,000 रू. प्रति हैक्टेयर
2.	बीजों का वितरण 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 2500 रुपये प्रति क्विंटल	50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रुपये प्रति क्विंटल 50 प्रतिशत या अधिकतम 2500 रुपये प्रति क्विंटल
3.	पौध संरक्षण रसायन	50 प्रतिशत या 500 रुपये प्रति हैक्टेयर	50 प्रतिशत या 500 रुपय प्रति हैक्टेयर
4.	खरपतवार नियंत्रण	50 प्रतिशत या 500 रुपये प्रति हैक्टेयर	50 प्रतिशत या 500 रुपय प्रति हैक्टेयर
5.	हस्त चलित स्प्रेयर	50 प्रतिशत या 600 रुपये प्रति मशीन	40 प्रतिशत या 500 रुपये प्रति मशीन

{6} राष्ट्रीय सतत खेती मिशन (NMSA):

(क)	एकीकृत कृषि प्रणाली	इकाई	सहायता राशि (रुपये)
1.	बागवानी आधारित खेती प्रणाली	हैक्टेयर	25,000
2.	पशुधन आधारित कृषि प्रणाली 1. गाय /भैंस + मिश्रित खेती व चारा 2. छोटे जुगाली करने वाले पशु + मिश्रित खेती	 हैक्टेयर हैक्टेयर	 40,000 25000
3.	मत्स्य आधारित कृषि प्रणाली ।	हैक्टेयर	25,000
4.	कृषि वानिकी, वन –संवर्धन चारागाह प्रणाली ।	हैक्टेयर	15,000
5.	फसल प्रणाली क साथ–साथ सीमा/परिधि/मेड़ों पर वृक्षारोपण + फलदार पौधों, सब्जियों, तिलहन आदि फसलों की इंटर कापिगं प्रणाली।	हैक्टेयर	15,000
(ख)	मूल्य संवर्धन और संसाधन प्रबंधन	इकाई	सहायता राशि (रुपये)
1.	ग्रीन हाउस (1) कृत्रिम रूप से हवादार टयूबलर	वर्गमीटर	609.50
2.	प्लास्टिक टनल	वर्गमीटर	37.50
3.	मधुमक्खी पालन	कलौनी	800
4.	साइलेज यूनिट 2100–2500 घन फुट, चैफ कटर सहित	इकाई	1,25,000
5.	1 सामूहिक गली नियंत्रण संरचना	प्रति संरचना	6,000

	ऊपरी पहुँच 2 सामूहिक गली नियंत्रण संरचना मध्यम पहुँच 3 सामूहिक गली नियंत्रण संरचना निचली पहुँच	(कुल चिन्हित गाँव 20 व प्रति गाँव अधिकतम संरचना 27) प्रति संरचना (कुल चिन्हित गाँव 5 व प्रति गाँव अधिकतम संरचना 27) प्रति संरचना (कुल चिन्हित गाँव 6 व प्रति गाँव अधिकतम संरचना 27)	 24,000 40,000
वर्मीकम्पोस्ट			
1.	स्थायी यूनिट (400 क्यूबिक फुट) रूपये 50,000 / इकाई।	क्यूबिक फुट	125
2.	एच डी पी ई वर्मी बेड (64 क्यूबिक फुट)	रुपय / वर्मी बेड	8,000
प्रशिक्षण			
1.	1. 20 प्रतिभागियों के लिए	रुपये	10,000
2.	2. 50 प्रतिभागियों के लिए	रुपये	20,000

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क सूत्र :

क सं	नाम व पता	फोन न0	ई.मेल
1	कृषि निदेशक	0177.2830620	krishibhawan-hp@gov.in
2	अतिरिक्त कृषि निदेशक, धर्मशाला	01892.223281	adadsala@ymail.com
3	निदेशक बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था, शिमला	0177.2830643	hpssopca@gmail.com
4	परियोजना निदेशक, जीका हमीरपुर	01972.223059	pmucdp-hp@nic.in
5	निदेशक समेती, मशोबरा, शिमला	0177.2740240	himsameti@gmail.com
6	प्राचार्य किसान प्रशिक्षण संस्थान, सुंदरनगर	01907.267238	ftcsundernagar@ymail.com
7	वरिष्ठ विश्लेषण रसायनज्ञ, हथौर्न विला, शिमला	0177.2650110	sacshimla@ymail.com
8	कृषि उपनिदेशक, बिलासपुर	01978.222454	ddabilaspur@ymail.com
9	कृषि उपनिदेशक, चंबा	01899.222206	ddachamba@ymail.com
10	कृषि उपनिदेशक, हमीरपुर	01972.225482	ddahamirpur@ymail.com
11	कृषि उपनिदेशक, कुल्लु	01902.222215	ddakullu@ymail.com
12	कृषि उपनिदेशक, मण्डी	01905.236926	ddamandi@ymail.com
13	कृषि उपनिदेशक, नाहन	01702.222225	ddasirmour@ymail.com
14	कृषि उपनिदेशक, पालमपुर	01894.230528	ddakangra@ymail.com
15	कृषि उपनिदेशक, शिमला	0177.2831558	ddashimla@ymail.com
16	कृषि उपनिदेशक, सोलन	01792.230734	ddasolan@gmail.com
17	कृषि उपनिदेशक, ऊना	01975.226101	ddauna@ymail.com
18	जिला कृषि अधिकारी, किन्नौर	01786.222364	daokinnaur@gmail.com
19	जिला कृषि अधिकारी, लाहौल–स्पिति	01900.222251	daolspiti@ymail.com
20	परियोजना निदेशक,आत्मा, शिमला	0177.2831667	atmashimla@ymail.com

21	परियोजना निदेशक,आत्मा, सोलन	01792.230009	atmasolan@ymail.com
22	परियोजना निदेशक,आत्मा, सिरमौर	01702.223746	atmasirmour@ymail.com
23	परियोजना निदेशक,आत्मा, ऊना	01975.223211	atmauna@ymail.com
24	परियोजना निदेशक,आत्मा, हमीरपुर	01972.225587	atma-ham-hp@gov.in
25	परियोजना निदेशक,आत्मा, बिलासपुर	01978.222379	atmabilaspur@ymail.com
26	परियोजना निदेशक,आत्मा, मण्डी	01905.235182	atmamandi@ymail.com
27	परियोजना निदेशक,आत्मा, कुल्लु	01902.226825	atma-kul-hp@gov.in
28	परियोजना निदेशक,आत्मा, काँगड़ा	01894.230039	atma-kan-hp@gov.in
29	परियोजना निदेशक,आत्मा,चंबा	01899.224140	atmachamba@ymail.com
30	परियोजना निदेशक,आत्मा,किन्नौर	01786.222915	atma-kin-hp@gov.in
31	परियोजना निदेशक,आत्मा,लाहौल–स्पिति	01900.222251	atmalspiti@yahoo.com
32	सहायक परियोजना अधिकारी, काजा	01906.222259	apokaza1906@gmail.com
33	मण्डलीय अभियंता, मण्डी	01905.242234	debhangrotu@ymail.com
34	मण्डलीय अभियंता, शिमला	0177.2831341	deshimla@ymail.com
35	मण्डलीय अभियंता, पालमपुर	01894.231446	depalampur@ymail.com
36	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी अर्की	01796.220616	sdscoarki16@gmail.com
37	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी बनीखेत	01899.254624	sdscobanikhet@ymail.com
38	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी चंबा	01899.223106	sdscochamba@ymail.com
39	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी देहरा	01970.233193	sdscodehra@ymail.com
40	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी धर्मशाला	01892.222125	sdcodsala@gmail.com
41	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी फतेहपुर	01893.256096	sdscofatehpur@ymail.com
42	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी घुमारवीं	01978.254157	sdscoghumarwin@ymail.com
43	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी हमीरपुर	01972.224374	sdscohamirpur@ymail.com
44	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी कुल्लु	01902.225877	sdscokullu@ymail.com
45	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी मण्डी	01905.237523	sdscomandi@ymail.com
46	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी नालागढ	01795.222322	sdsconalagarh@ymail.com
47	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी नूरपुर	01893.227222	sdsconurpur@ymail.com
48	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी पालमपुर	01894.235588	sdscopalampur@ymail.com
49	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी पांवटा	01704.222476	sdscopaonta@ymail.com
50	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी राजगढ़	01799.221230	sdscorajgarh@gmail.com
51	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी रामपुर	01782.233890	sdscorampur@ymail.com
52	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी रोहड़ू	01781.241595	sdscorohru@gmail.com
53	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी रिकांगपियो	01786.223848	sdscokinnaur@gmail.com
54	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी शिमला	0177.2633425	sdscoshimla@ymail.com
55	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी सरकाघाट	01905.231067	sdscosarkaghat@ymail.com
56	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी ऊना	01975.224078	sdscouna@ymail.com

किसानों की सुविधा हेतु विभिन्न मोबाईल ऐप्प,पोर्टल व बेबसाईट

1.	**Kisan Suvidha Mobile App**	**Available in Google play store**
2.	**PUSA Krishi App**	**Available in Google play store**
3.	**Crop Insurance App**	**Available in Google play store**
4.	**Agrimarket App**	**Available in Google play store**

5.	**www.agrimobile.hp.gov.in**	**Him m-kisan Portal/ Mobile App**
6.	**www.soilhealth.dac.gov.in**	**Soil Testing Portal**
7.	**www.mkisan.gov.in**	**M-Kisan SMS Portal**
8.	**www.farmer.gov.in**	**Farmer Portal**
9.	**www.enam.gov.in**	**eNam Portal**
10.	**www.hpagriculture.com**	**Department of Agriculture,HP**
11.	**www.himachal.nic.in**	**Government of HP**
12.	**www.agricoop.nic.in**	**Department of Agriculture, Govt. of India**
13.	**www.hillagric.ac.in**	**CSKHPKV, Palampur**
14.	**www.yspuniversity.ac.in**	**UHF, Nauni, Solan**
15.	**www.hpsamb.org**	**HP State Agricultural Marketing Board**
16.	**www.icar.org.in**	**ICAR, Pusa**
17.	**www.teaboard.gov.in**	**Tea Board of India**
18.	**www.hpcdp.nic.in**	**JICA , Hamirpur**
19.	**www.hpssopca.org**	**HP State Seed & Organic Produce Certification Agency**
20.	**www.weathershimla.gov.in**	**Meteorological Centre, Shimla**

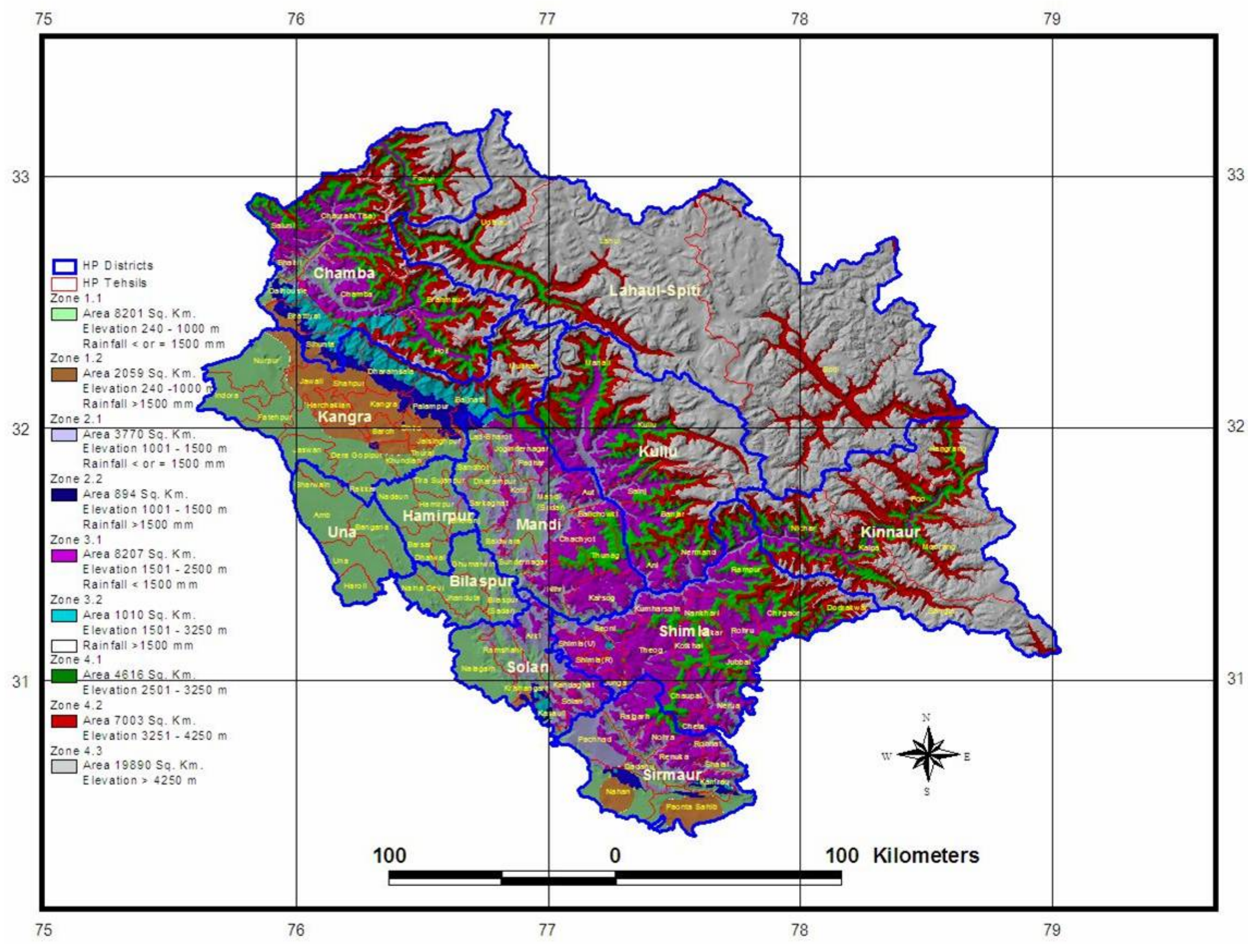

अधिक जानकारी व सहायता प्राप्त करने के लिए अपने निकटतम
कृषि कार्यालय, ब्लाक स्तर पर कृषि विशेषज्ञ, जिले के कृषि उपनिदेशक से या किसान कॉल सैंटर की मुफ्त फोन सेवा 1800–180–1551 पर सम्पर्क करें।